कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज(छ0ग0)

–:: मान्यता नवीनीकरण आदेश ::–

रामानुजगंज,दिनांक 04/01/2024

कमांक/ 122 /मान्यता/अनुमति/2023–24 :: :: बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप नियम के तहत आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय का नाम पता **(सेन्ट मेरिज प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला पुरानडीह, रामानुजगंज) (कक्षा पहली से आठवी तक)** के लिए **(माध्यम अंग्रेजी) दो वर्ष के लिए 01.07.2023 से 30.06.2025** तक प्रभावशील रहेगी। उपरोक्त स्वीकृति निम्नालिखित शर्तो की पूर्ति के अधीन अस्थाई रूप से मान्यता नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार के कक्षा VIII के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर I) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर II) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1 ली की दर्ज संख्या में 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चें के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य अधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
    1. प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से नहीं निकाला जायेगा।
    2. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
    3. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
    4. प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावेगा।
    5. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवकश्यकता वाले छात्रों का समावेश होगा।
    6. शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करें।
    7. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
    8. शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों को संलग्न नहीं करें। विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेंगें।

PRINCIPAL
ST. MARY'S HR. SEC. SCHOOL
PURANDIH, RAMANUJGANJ
DIST.- BALRAMPUR-R. GANJ(C.G.)

Scanned with OKEN Scanner